को उनकी आवश्यकतानुसार बोने के लिये बीज वितरित किये जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के बीज अनुमानतः कितनी मात्रा में जमा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). गेहूं की नई किस्में जो हाल ही में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति द्वारा निर्मुक्त की गई हैं और अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में शामिल की गई हैं वे कल्याण-सोना, सोनालिका, शर्बती सोनारा तथा एस—331 हैं। "राज्यों में बीजों का उत्पादन तथा वितरण का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है"। फिर भी राष्ट्रीय बीज निगम ने गत रबी मौसम के दौरान 531 एकड़ भूमि में कल्याण-सोना, सोनालिका तथा शर्बती सोनारा के मूल बीज उत्पादन का आयोजन किया है। कटाई चालू है और निगम को आशा है कि प्रति एकड़ भूमि में 15 क्विन्टल मूल बीज का औसतन उत्पादन होगा। प्रस्ताव है कि आगामी रबी के दौरान राज्य सरकारों, प्रगतिशील निजी बीज उत्पादकों आदि के द्वारा इस मूल बीज को बीज वृद्धि के लिए उपयोग में लाया जाये।

शराब के लिये गुड़ की खरीद

8463. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शराब बनाने के लिये बहुत मात्रा में गुड़ खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 में इस कार्य के लिये कितनी मात्रा में गुड़ खरीदा गया ?

खाद तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्द्रीय सरकार ने शराब बनाने के लिये कोई गुड़ नहीं खरीदा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लद्दाख में डाकघर तथा तारघर

8464. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी लद्दाख के "जोसकर", "नुबड़ा" और "ओमा" क्षेत्रों में अभी तक डाकघरों तथा तारघरों के न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस बात को देखते हुए कि ये सब सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सरकार का इन तीनों क्षेत्रों में कब तक डाक तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). डाक और तार की सुविधाएं निम्नलिखित कारणों से उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

डाकघर

(1) **जोसकर**—यह क्षेत्र जंसकर नाम से भी प्रसिद्ध है। जंसकर तहसील के मुख्यालय पदम में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच करने पर यह पाया गया कि प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित हानि एक डाकघर के लिए वार्षिक 2500 रु० की अधिकतम अनुमत्य हानि की सीमा से अधिक होगी जिस की छूट असाधारण मामलों में ही दी जाती है। राज्य सरकार को अनुमत्य हानि की सीमा से अधिक होने वाली हानि की रकम के बराबर गैर-वापसी अंशदान वसूल करने के लिए लिखा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) **नुबड़ा**—नुबड़ा घाटी के मुख्यालय दिसकिट में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है और वहां शीघ्र ही डाकघर खोल दिया जाएगा।

(3) **ओमा** अभी तक ओमा में डाकघर खोलने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।